

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 08 / EXAM/J.L.O.-JDA/EP-I/2025-26

दिनांक : 19.08.2025

आयोग द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए Jaipur Development Authority Employees (Recruitment & Promotions) Regulations, 2023 के अनुरूप अधिकारी (Junior Legal Officer) के कुल 12 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त यहाँ रिपोर्ट पद (पदों की संख्या में कमी/दूसरी की जा सकती है) एवं उनमें आवश्यक पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

No. of Posts	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV	GEN	GEN WE	WD	DV
12	5	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Horizontal Reservation:- I- Ex. Ser. - Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0

2- P.H. (i) B/L.V-1 (ii) D, H.H.-0, (iii) LD/CP&amp;Others-0 (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D. Autism &amp; (b) Mul Dis. -0

Abbreviations Used: GEN – General, U.R. – Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST – Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC – More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorces, B/LV- Blind/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of hearing, LD/CP & Others – Loco motor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, Spinal Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/lumb dysfunction, Acid attack victims and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual disability, M.I. - Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis. - Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped

नोट :-

- उक्त विनियम के अनुसार किसी वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यवाचिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्यर्थी भर्ती वर्गों के लिए अवैधति किया जाएगा। तीन भर्ती वर्गों की सामाजिक के पश्चात् ऐसी अवैधति की गई विनियम सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर्ती जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ग में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ग को इस उप-विधियों के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आवश्यक है।
- राजस्थान राज्य ने आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से बदल जायेगा।
- किसी वर्ग विशेष में या तो विनियम या विविधन विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा महिलाओं में से किसी ने पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी को उपलब्ध न होने की दशा में विनियमों को प्रश्नकर्ता अन्तर-परिवर्तन द्वारा अवैधत रिक्तियों को विविधन विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विवाह और पिछड़ने विविधन विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा अभ्यर्थी को उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी विविधन वर्गों की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी को उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को द्वारा भरी जाएगी विनियम के लिए विविधन विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया उस प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले गहिला कोटे के विवर्ण समावेषित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाएं गए पदों का आक्षण कीतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान विविधन देशीय/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा महिलाओं के लिए विविधन विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा अभ्यर्थी को उपलब्ध न होने की दशा में प्रयोगान्वयन द्वारा अवैधत रिक्तियों को विविधन विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विवाह और पिछड़ने विविधन विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया उस प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले गहिला कोटे के विवर्ण समावेषित किया जायेगा।
- राजस्थान विविधन देशीय/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा महिलाओं के लिए विविधन विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया के अन्तर्गत नहीं की जाएगी। विविधन विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया के अन्तर्गत नहीं की जाएगी।
- राजस्थान विविधन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भर्ती वर्ग में कोई विविधन उपयुक्त विवर्णार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्तियों की जायेगी और पात्र वर्ग में अवैधत की जायेगी और यदि आनामी भर्ती वर्ग में भी उपयुक्त विवर्णार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रधानतः निःशक्तजन श्रेणियों में अन्तररपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ग में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियमोन्का उस रिक्तियों के अन्तर्गत जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग एवं मूलपूर्व सैनिकों का आयेलन (Degree in Law from a University established by Law in India or its equivalent declared by the Govt.)
- Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

Note: 1. अभ्यर्थी को बाहित शैक्षणिक अहंता (शैक्षणिक योग्यता, अनुकूल व आयु स्वत्वादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा ऐसे अभ्यर्थीयों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुसूचित संस्कृत लिखि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रयोगान्वयिता (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

2. असत्य एवं गलत सूचना की आधार पर आवेदन करना तथा अहंता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय सहित, 2023 (BNS) की घोषणा 217 के तहत दण्डनीय अप्रत्यक्ष है। ऐसी अभ्यर्थी को कालान्तर में कालान्तरित/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान आपत्र पाये जाने पर इस परीक्षा के अंतर्गत आवेदन को प्रयोगान्वयिता की जायेगी।

3. संबंधित विनियम के अनुसार ही उत्कृष्ट लिखानी की पात्रता स्वत्वे वाले अभ्यर्थीयों को आवेदन का लाभ राजस्थान राज्य के अन्तर्गत समायोजित से भरा जाएगा।

4. नियमोन्का उस रिक्तियों के अन्तर्गत जनजाति, अनुसूचित वर्ग, आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग एवं मूलपूर्व सैनिकों का आयेलन द्वारा अवैधत रिक्तियों को विविधन विवाह/परिवर्यक्ता/तलाकहुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया उस प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले गहिला कोटे के विवर्ण समावेषित किया जायेगा।

5. नियमोन्का "दिनु संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लाभ होगा।"

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ :-

1. Degree in Law from a University established by Law in India or its equivalent declared by the Govt.
2. Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

शैक्षणिक अहंता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अवैधत शैक्षणिक अहंता की परीक्षा में सम्मिलित हो जुका है या सम्मिलित हो रहा है, ऐसा व्यवित भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोगित साक्षात्कार के पूर्व शैक्षणिक अहंता अवैधत करने का सम्भूत देना होगा। नोट :- साक्षात्कार से पूर्व अवैधतिक का आवेदन करना तथा नियमानुसार आवेदन करना होता है।
५-मैट्रिक्स लेवल	५-मैट्रिक्स लेवल L-10 (Grade Pay - 3600/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवेशाकाल ने नियम मौसिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	नियम 01.01.2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकार 40 वर्ष के बीच होनी चाहिये। टिप्पणी- आयोग द्वारा यह भर्ती प्रधान वार आयोजित की जा रही है।

विविधित पदों के अनुरूप दशविंधि में आरक्षित पदों हेतु विविधित वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र. सं.	अभ्यर्थीयों का वर्ग एवं अव्ययिता श्रेणियों	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	पिछड़ा एवं विविधन विवाह (परिवर्यक्ता/तलाकहुदा) नहिला Widows and divorced women	अधिकतम आयु सीमा नहीं
	Explanation :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	
5.	उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस मूलपूर्व की वाले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व Authority के अधीन किसी पद पर Substantive तीर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति की पात्र था।	

	The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an Ex-prisoner who had served under the Authority on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under these regulations.
6.	उस भूतपूर्व केंद्री के मामले में जो अपनी दोषतिथि के पूर्व अधिकारायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकारायु आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी। In the case of other ex-prisoners the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him/her provided he/she was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Regulations.
7.	इस सेवा के लिए पद पर अल्पाई नियुक्ति अग्र प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थी तो उन्हें आयु सीमा में समझा जायेगा वाहँ वे आयोग के समझ आकिरी उपरिवर्णित के समय तक पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Examination/Selection Committee or Appointing Authority, as the case may be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment;
8.	एन.सी.सी. के कैरिएट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकारायु आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि परिणामिक आयु नियुक्ति अधिकारायु आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें दिल्ली आयु सीमा में ही समझा जाएगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the Service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
9.	सन् 1971 में हुये भारत पाक सूद के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। There shall be no age limit in case of Persons repatriated from Pakistan during the 1971 Indo-Pak War.
10.	नियुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा से नियुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जाएगा वाहँ उन्होंने आयोग के समझ उपरिवर्णित होने के समय आयु सीमा पार कर ली ही बराबर कि वे सेवा में कमीशन प्राप्त करने के समय आयु सीमा की बृद्धि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit, even though they have crossed the age-limit when they appear before the Examination/Selection Committee had they been eligible as such at the time of their joining the commission in the Army.
11.	राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के प्रशिक्षक सेक्टर उपकरणों/नियमों के कार्य कलार्थी के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारात्र व्यक्तियों के लिए अधिकारायु आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporation in substantive capacity shall be 40 years.
12.	भूतपूर्व सेनानी और विजिएट अधिकारी जिनका द्वारा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में द्रासफर हो गया हो, के लिए अधिकारायु आयु सीमा 50 वर्ष होगी। That the upper age-limit for the reservist namely the Defense personnel transferred to the reserve and the Ex-Service Personnel shall be 50 years.
13.	राजस्थान विवरणीय अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःसारजन व्यक्तियों के लिए उपरिवर्णित कार्य आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.
नोट :- डिमेन बर्ग/अन्य विशेष अधिकारी हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्राक्कारों जिनमें सामान्य विधि में अधिकारायु आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, तभ्यः ही निष्प्रभावी नाने जायेंगे।	
<b>नोट -</b>	
1.	उपरोक्त व्यक्ति आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 12 तक के प्राक्कारान असंबंधी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यर्थीयों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्राक्कारान का अधिकारायु आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्राक्कारों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2.	उपर्योक्त बिन्दु संख्या 01 से 12 तक के अनुसार उपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 13 में उल्लेखित प्राक्कारान के अनुसार विशेष व्यवधान को उपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।
3.	कार्यिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व हैरिज (Horizontal) आवायन के अंतर्गत लिस्ट क्लीनी को लिए आरक्षित पदों हेतु मदि किसी अन्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय लिस्टी अन्य रियायत (जैसे- आयु सीमा, अंक, फिलिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) लिस्टों के प्रति विवरित नहीं किया जायेगा।
4.	सामान्यान्वयन सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानियुक्ति की आयु 60 वर्ष नियायित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5.	अन्य विशेष अधिकारी हेतु आयु सीमा में छूट के प्राक्कारान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अकिञ्चित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक बाद की विधि में अंग्रेजी भाषा में अकिञ्चित प्राक्कारान ही नाम्य होंगे।
<b>अन्य विवरण</b>	
चयन प्रक्रिया	अन्यर्थीयों का चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के सम्बन्ध में किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरापत्रक/उत्तरारुपिताका वै मूल्यांकन में स्पेलिंग/मीडियरेशन/नीमेलाईटेशन (सामान्यीकारण) पढ़ाते को अपनाया जा सकता है। संबंधित विनियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपचुका पाये गए अन्यर्थीयों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राक्कारी को अनुशासित किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के गोंग के अनुसार की सेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।
परीक्षा का स्थान एवं नाम	परीक्षा स्थान व तीव्रि के सम्बन्ध में व्यापारमय सूचित कर दिया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	उक्त पदों से संबंधित विनियम के नियम 27 एवं अधिसूचना दिनांक 30.06.2023 के अनुसार लिखित प्रतियोगी परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप (multiple choice type question) में ली जायेगी।
आवेदन अवधि	दिनांक 27.08.2026 से दिनांक 25.09.2026 तक 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	<p>1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वांगीन अन्यर्थी आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये विशेष-लिंक (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपराना ही अन्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अन्यर्थीयों के लिए विशेष योग्य विवरण आयु सीमा, अंक, फिलिकल फिटनेस आदि का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) लिस्टों के प्रति विवरित नहीं किया जायेगा।</p> <p>2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थीयों को आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अवश्य एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने के लिए अन्यर्थीयों के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेन्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण एवं आधार अन्यर्थीयों को लिए विशेष नामी/परीक्षा हेतु संबंधित मरीं सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्राक्कारान ही लागू होंगे।</p> <p>3. लिए अन्यर्थीयों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अन्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें।</p> <p>4. अन्यर्थी द्वारा One Time Registration गरने से पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेन्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार /SSO प्रोफाइल में अकिञ्चित विवरण का रॉकेटिक दस्तावेजों में अंकित प्रतियोगियों से साक्षात्कारपूर्वक निलाम सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अन्यर्थी आधार कार्ड / SSO ID की प्रविधियों में आवश्यक संशोधन (Correction) करने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।</p> <p><i>Note:</i> ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अन्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविधियों व्यापक रूप से विवरण की जाएं। यदि आधार कार्ड में लगी हुई कोटी तीन वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाईन आवेदन गरने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविधियों द्वारा आधार कार्ड को अपडेट कर लें। यदि इसमें कोई अन्यर्थी आधार कार्ड / SSO ID की प्रविधियों में आवश्यक संशोधन करने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।</p> <p>5. अन्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने समय अपनी लाइन फोटो कोटी अवश्यक करें। अन्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखाएं फोटो की स्पष्टता की सुनिश्चित करते हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करें।</p> <p>6. अन्यर्थी के द्वारा ऑनलाईन आवेदन गरने से समय हस्ताक्षर एवं लौटे हाथ की अंगूठा निशानी की स्वीकृत अवश्यक होगा। परीक्षा आयोजन के बीचारे परीक्षा कक्ष में अन्यर्थी के द्वारा उपरिवर्णित तीनी अन्यर्थी की द्वारा लौटे हाथ की अंगूठा निशानी भी अवश्यक होगी।</p> <p>7. अन्यर्थी ऑनलाईन आवेदन अवधि के दौरान गरने की विनाशक नीनों के द्वारा लौटे हाथ की अंगूठा निशानी भी अवश्यक होगी।</p> <p>8. अन्यर्थीयों को शुल्कलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में शुल्कलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उपर विवरण का चयन नहीं किये जाने पर शुल्कलेखक की सुविधा देन नहीं होगी।</p>



- अन्यथा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्थात् की जा सुनी सभी रीकार्ड योग्यता/अनुमति का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्ट है। एवं आवश्यक तौर पर अकिलत करें।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (Application No.) अकिलत या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार वी कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
- आवेदक जिस क्षेत्री के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी क्षेत्री में ऑन—लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य सूचनाएं पर आयोग अन्यथा पर विवार सहित नियमानुसार कार्यालयी गैरि रखता होगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की ग्रीमीलेयर क्षेत्री के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से गिन राज्यों की अनुसृति जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layers)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक समाज्य वर्ग के अंतर्गत होते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामाज्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
- अन्यथा ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवे।
- अन्यथा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय—समय पर अवलोकन करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृष्ठक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।
- आयोग द्वारा अन्यथा से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के अंतिरिक्त किसी भी परीक्षाती में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑफलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरा हुआ आवेदन—पत्र रखीकरण नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्राचार स्थीकार नहीं किया जायेगा।

**ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-** ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की चुट्टी का पता लगता है तो अन्यथा ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दोषाएं गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अंतिरिक्त अन्य चुट्टी संशोधन नियमानुसार कर सकता है तथापि विज्ञापन में अकिलत तिथि/अवधि तक कैलेक्टिव योग्यता अर्थात् करना आवश्यक है:-

- यदि कोई अन्यथा अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि तक दोषान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर नियारित चुट्टी रूपये 500/- का ऑनलाइन मुगालान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा—नियमानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्थीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी चुट्टी का सम्पूर्ण दायित्व अन्यथा का ही होगा।
- आयोग द्वारा प्रधान घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन ऐडिट हेतु लिंक खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अन्यथा के कोटों, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अंतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।  
**Note:-** विचित्र विवाह/तालाकशुदा/परिवर्तना महिला ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विचित्र विवाह (DV) डिक्टी जारी होने की विधि में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकते हैं।
- One Time Registration (OTR) लागू** किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अन्यथा के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
- किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अन्यथा को एस.एम.एस. के माध्यम से सुचित किया जायेगा एवं एस.एम.एस. की पुष्टि ऑटोपी के माध्यम से की जायेगी।
- सभी प्रकार की अनुमति अपने लागू रूपये 500/- रूपये नियारित है।
- आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् अन्यथा को कुट्टी सुचूप 500/- रूपये नियारित है।
- आयोग द्वारा अन्यथा से उक्त प्रक्रिया के अंतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्थीकार नहीं किया जायेगा एवं उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अन्यथा को कोई गान्धी अधिकार नहीं होगा।

**एकवारीय पंजीयन चुल्क :-** कार्यक्रम (क्र-2) विभाग के परिषत्र विनाक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकवारीय पंजीयन चुल्क नियोजित किया गया है जो नियमानुसार है-

रूपये 600/-

- सामाज्य (जनार्दिता)/पिछड़ा वर्ग के ग्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के ग्रीमीलेयर के अन्यथा -
- आरहित वर्ग (अनुसृति जाति/अनुसृति जनजाति/पिछड़ा वर्ग—जौन ग्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग—जौन ग्रीमीलेयर/अर्थात् रूप से कमज़ोर वर्ग/संहरिया आदिन जाति) के अन्यथा -
- दिव्यागजन -

रूपये 400/-

रूपये 400/-

- नोट :-**
- राजस्थान राज्य से गिन अन्य राज्यों के अनुसृति जाति/अनुसृति जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अर्थात् रूप से कमज़ोर वर्ग के अन्यथाओं को सामाज्य वर्ग का अन्यथा भावी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामाज्य वर्ग के अन्यथाओं के लिए नियारित पंजीयन चुल्क देना होगा।
  - कार्यक्रम (क्र-2) विभाग के उक्त परिषत्र विनाक 19.04.2023 से पूर्व जिन अन्यथाओं द्वारा वन टाइम ऊपरस्ट्रेनिंग किया जा चुका है, वे अन्यथा भी एसएसओ आईडी द्वारा लोग इन कर वन टाइम ऊपरस्ट्रेनिंग के जौन्हान पर जाकर उपर्युक्तानुसार नियारित एकवारीय पंजीयन चुल्क जमा करवाएं।

**एकवारीय पंजीयन चुल्क :-** जारी करने के पश्चात् परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अन्यथाओं के लिए कार्यक्रम (क्र-2) विभाग द्वारा परिषत्र विनाक 09.06.2023 जारी किया गया है जो नियमानुसार है-

रूपये 600/-

- कोई अन्यथा आयोग/दोष व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक विशेष वर्ष (विनाक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी विधि में अन्यथा के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
- (i) अन्यथा द्वारा चुल्क 750/- रूपये का मुगालान करने के पश्चात् ही एकवारीय पंजीयन चुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।
- (ii) एक बार O.T.R. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अन्यथा उसी विशेष वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
- (iv) पुनः प्रतिबन्धित O.T.R. को अन्यथा के द्वारा चालू रूपये 1500/- का मुगालान करने के पश्चात् ही ऑटीआर सुविधा पुनः चालू की जायेगी।
- टिप्पणी—यदि कोई आवेदक किसी कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो इस परीक्षा लिंग से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdraw) किये जाने का अवश्यक प्रदान करने पर उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रत्याहारित किये जाने की विधि में उसे इस परीक्षा में ऑटीआर प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जायेगा।

**विशेष योग्यजन/दिव्यागजन अन्यथाओं को भूतलेखक/क्षमित्पूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष नियंत्रण—**

- अन्यथा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यागजन/दिव्यागजन श्रेणी भरे जाने तथा भूतलेखक संबंधी दिक्कत का वर्णन किये जाने का अभियांत्र यह नहीं है कि गह भूतलेखक को चुकिया प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। भूतलेखक की चुकिया प्राप्त करने के लिए अन्यथा भी आयोग द्वारा जारी निर्देशों की योजना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अन्यथा की भूतलेखक की चुकिया देंगे नहीं होंगी।
- ऐसे दिव्यागजन अन्यथा जो वर्ष का भूतलेखक लाना चाहते हैं, उन अन्यथाओं को परीक्षा विनाक से कम से कम एक दिवस पूर्व विवागता का वांछित विकल्पान्तरण—पत्र, अन्यथा एवं भूतलेखक का वर्षन—पत्र, भूतलेखक को खोटी प्रदान करने वाले विवरण वर्ष के विवरणों की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक गो प्रस्तुत करनी होगी।
- ऐसे दिव्यागजन अन्यथा जो आयोग/केन्द्राधीक्षक से भूतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अन्यथाओं को परीक्षा विनाक से कम से कम दो दिवस पूर्व विवागता का वांछित विकल्पान्तरण—पत्र, अन्यथा का वर्षन—पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभासित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से अधिक निःशकाता) की श्रेणी के नामले में अन्यथा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यागजन/दिव्यागजन श्रेणी की निःशकाता—Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी भरे अन्यथा द्वारा चाहने पर, दिव्यागता का विकल्पान्तरण अन्य श्रेणी प्राप्त होना एवं अन्यथा एवं भूतलेखक का वर्षन—पत्र के आधार पर भूतलेखक की चुकिया दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा विवरण वर्ष के विवरणों के अनुसार अन्यथा द्वारा चाहने पर भूतलेखक की चुकिया दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अनुसार अन्यथा द्वारा चाहने पर भूतलेखक की चुकिया दी जायेगी। ऐसे अन्यथाओं को भूतलेखक की चुकिया और/या क्षमित्पूरक समय प्रदान करने पर भूतलेखक की चुकिया देंगे होंगी और/या क्षमित्पूरक समय देंगे नहीं होंगी।
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभासित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशकाता) की श्रेणी के नामले में अन्यथा को भूतलेखक के संबंध में योग्यता/विवरण एवं व्यवस्था अधिकारी/विवरण अधीक्षक से अनुभूति प्राप्त होना एवं अन्यथा द्वारा चाहने पर भूतलेखक की चुकिया और/या क्षमित्पूरक समय प्रदान करने पर भूतलेखक की चुकिया और/या क्षमित्पूरक समय देंगे नहीं होंगी।
- भूतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्राप्त होने का आयोग की वेबसाइट पर "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध भूतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

ok

**Scheme and Syllabus for the post of Junior Legal Officer (J.L.O.)**

**Scheme of Examination:** The examination have two phases i.e.

1. Written Examination                    2. Interview

The Written examination shall include four papers, namely

Paper	Subject		Marks
I	Constitution of India with special emphasis on Fundamental Rights, Directive Principles and enforcement of rights through writs, Functioning of High Court and Supreme Court and Attorney General.		50
II	Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code Provisions required to be referred generally in Government Offices will be given importance.		50
III	Evidence Act, Limitation Act, Interpretation of Statutes, drafting and conveyancing.		50
IV	Language :-	Part-A General Hindi Part-B General English	25 25

**NOTE :** (i) The duration for each Paper shall be of 3 hours.

(ii) 40% in each paper shall be pass marks for the exam\*. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(iii) Senior secondary Level will be the standard of the language paper.

(iv) The pattern of question paper will be Objective Type.

(v) There shall be 150 question for each paper.

(vi) There shall be negative marking. 1/3 marks shall be deducted for each wrong answer.

\*प्राक्तन विदेशी सेवा (भूतपूर्व लैनिक का आवेदन) नियम, 1988 तथा राजस्थान विधायिका अधिकार नियम, 2018 में दिइत प्राक्तनानुसार भूतपूर्व लैनिकों एवं विशेष योग्यता को न्यूनतम उल्लिखितों में छूट/रिशयत दी जायेगी।

**Syllabus**

Paper	Subject
I	Constitution of India with special emphasis on Fundamental Rights, Directive Principles and enforcement of rights through writs, Functioning of High Courts and Supreme Court and Attorney General.
II	Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code, Provisions required to be referred generally in Government Offices will be given importance.
III	Evidence Act, Limitation Act, Interpretation of Statutes, drafting and conveyancing.
IV	Language: - Part-A General Hindi 1. राष्ट्र राजना : राजनी एवं समीक्षा विष्फळ, समाज, उपचार, प्रश्नाएँ। 2. सभा प्राक्तन (क) लक्षण, अद्वितीयतम्, तदापव, देशज, विदेशी। (ख) सांसा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव (विशेष विशेषण, समाचार सूचक, विश्वायोधक, निवारण) 3. राज्य क्रान्ति : यदीयार्थी, विस्तृत, राज्य दुर्घो का उच्च ऐव, यदीयार्था के लिए राज्यक राज्य, सामूहित मिन्नार्थक राज्य, समाजार्थी लोकों का विवेक, उपयुक्त राज्य वर्णन, सम्बन्धजनी राज्यावली। 4. राज्य तुष्टि। 5. व्याकरणिक क्षेत्रियों : वर्तमान, विना, वर्तन, वुल्य, कात, वृत्ति, पक्ष, वाच्य 6. वाच्य तुष्टि। 7. वाच्य तुष्टि। 8. विषम विद्वान् का प्रयोग। 9. गुहारें/लोकोक्तियाँ 10. वारियार्थिक राज्यावली : प्रशासनिक, विधिक (विवेषण))। Language: - Part-B General English 1. Tenses 2. Determiners 3. Phrasal verbs and Idioms 4. Active & Passive Voice 5. Co-ordination & Subordination 6. Direct and Indirect Speech 7. Modals expressing various concepts- (Obligation, Request, Permission, Prohibition, Intention, Condition, Probability, Possibility, Purpose, Reason, Companions, Contrast.)

**Viva-Voce :** Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by the Commission for interview. The allocation of marks for interview shall not be more than 10 % of the total marks into account for the purpose of selection.

उपर वडी हैतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओएनआर उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प चलने के संबंध में विशेष निर्देश-

- Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- It is mandatory to fill one option for each question.
- If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

**अंति महत्वपूर्ण दिन-गोट :-**

- अन्यथा Online Application Form में अपना दृढ़ी गोबर्डेन नम्बर व ई-मेल आईडी, अकिता करें जिस पर यह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भाली सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से आहता है। ऑनलाईन आवेदन में अकिता गोबर्डेन नम्बर व ई-मेल आईडी, बदलने/बद्ध होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएँ प्राप्त नहीं होती हैं अन्यथा की स्वयं की जिम्मेदारी होती है।
- अन्यथा व्याकरण गोबर्डेन नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते ने परिष्कर्तन की जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को सीधी भेजें।
- आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन—पत्र व्यापार्वक भरें। अपना ऑनलाईन आवेदन—पत्र अन्तिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रतिक्रियाएँ से आशयता ही ले कि सभी प्रतिक्रियाएँ सही—सही भारी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में जीवं गई प्रतिक्रियाएँ जो ही सही मानकार आयोग द्वारा आगे की जायेगी वही जायेंगी।
- अन्यथा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का ब्रूनजार किये बिना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होती है।
- आवेदक द्वारा स्वयं वै—ग्रिन्ड/अन्य किसी रूपों से ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरते/भराते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रिपिटि/सूचनाएँ छुट्टी हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रूप आवेदक की होती है। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन—पत्र के Preview में अपनी जाति/दर्ग/धर्मी, आपु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रतिक्रियाएँ जीवं आवश्यक रूप से करने के पश्चात छुट्टी होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात ऑनलाईन आवेदन—पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जीवं आवश्यक रूप से पुनः कार लें। अगर फिर भी कोई गलती/छुट्टी पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन की



निर्धारित प्रक्रियानुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके परिवार, किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्थीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अन्यथा का ही होयेगा। साथ ही आवेदक ने यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर है—निम्न अधिकार अन्य स्त्रोत से आवेदन करता है, तो आवेदक स्वयं ई—निम्न अधिकार अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई—निम्न अधिकार अन्य स्त्रोत के बरों से न छोड़े कि उनके द्वारा आवेदन ऑनलाईन आवेदन—पत्र सही—सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अन्यथा के विलम्ब कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

6. एवं आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसे अधिकारों का परिष्याग मानते हुए आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अधिकार के परिवार श्रेणी में सूचार की सूचिया/अनुसूचित नहीं ही जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/मूलपूर्ण सेनिक/अनुसूचित सेनिक/पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विकासीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अन्यथा Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में लगे अन्यथा Online Application Form प्राप्ति भी अनिन्दित दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अधिकार समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और ऐसी अन्यथाओं को जो कि अपने संबंधित वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग कियो जा लाने पिछड़ा पिछड़ा वर्ग ही होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही भानकर कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा/आवेदक द्वारा भिन्न श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा है तु उसे संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण—पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाईन आवेदन की अतिम तिथि से पहले का/तक का बना होना चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अन्यथा ली पात्रता की अनारक्षित/मूल वर्ग की शिक्षा के विलम्ब विचारित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यथा की होगी।
7. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन—पत्र प्राप्ति भी अनिन्दित दिनांक तक आयोग कर्मचारी वो पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्दित (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश—पत्र जारी करने का यह अनिष्टियत नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अनिन्दित रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन—पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जौच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से घटन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन—पत्र ऑनलाईन पत्रना होगा एवं उसके साथ सामयिक आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रणालित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी हुए—प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
8. किसी भी परीक्षा में अस्थाई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्यथा को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए लिक खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह लिक स्वतः ही निश्चित हो जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्थीकार नहीं किया जायेगा एवं अन्यथा की अन्यथिता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अन्यथा की होगी।
9. माननीय उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनान प्रियका जैन व अन्य के प्रकरण में परित निर्णय दिनांक 01.11.2017 गे अनुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्राप्ति भी अनिन्दित दिनांक तक आवेदन की विवाह/परिवर्तन/विचारण/विकलांगता/राजपत्रित अन्यथा वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
10. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने/त्रुटि सूचार संशोधन अधिकार के परिवार कोई अन्यथा आकर्षित रूप से दिव्यांग/पिछड़ा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवैधानिक परीक्षा/साक्षात्कार के अतिम परिषिक्षण से पहले वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होना जिसके लिए उसे विवाह हेतु आवाह—कार्ड, गृह्य प्रमाण—पत्र, लिंग दस्तावेज (यथा—विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बतावाला पहचान पत्र, आपार कार्ड, पति के नाम से नूल नियास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा विवाह हेतु नियाकाता प्रमाण—पत्र मय 500/- रुपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रखीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकृत्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक घटन होने पर प्रवृत्त घटन की परीक्षा उपरान्त अन्यथा विवाह/विवाह होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिषिक्षण में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिषिक्षण को द्वारा आवाह परिवर्तन/प्रमाणवॉलीकन नहीं किया जायेगा।
11. विविध विवाह/तलाकशुदा/परिवर्तन नियाकाता अन्यथा को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति भी अतिम दिनांक तक आवेदन की अनिन्दित दिनांक तक समय न्यायालय द्वारा परित निर्णय न्यायालय की अनियानुसारा प्रस्तुत करने पर ही आवश्यक का लाभ प्रदान किया जायेगा। परिवर्तन/तलाकशुदा/विविध विवाह आवेदक का तलाकशुदा वर्ग में विवाहारीन/लम्भित है एवं लिंगी ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति भी अतिम दिनांक तक परित नहीं हुई है, तो परिवर्तन/विविध विवाह/तलाकशुदा/परिवर्तन भ्रेणी की भानिल आवेदन की अतिम दिनांक तक एवं विवाह नियाकाता अन्यथा वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
12. विविध विवाह/तलाकशुदा/परिवर्तन भ्रेणी की भानिल आवेदन की अतिम दिनांक तक एवं विवाह नियाकाता अन्यथा वर्ग के विवाह के लिए जारी की जाने संबंधी शापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक उक्त पत्र हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पत्र हेतु विवाह में विविध विवाह/विवाहारीन/लम्भित है एवं लिंगी ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति भी अतिम दिनांक तक परित नहीं हुई है, तो परिवर्तन/विविध विवाह/तलाकशुदा/परिवर्तन भ्रेणी की अन्यथा वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। आवेदक के गास विवाहपन में उल्लिखित अनुसार शीक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्थीकार महान जायेगा।
14. आवेदक को द्वारा विवाहपन में ही गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्यथा की कोई अनिन्दित आयोग वर्ग की कोई अधिकतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं ही जायेगी।
15. परीक्षार्थी जो ई—प्रोफेशन—पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिव्या—निर्देशों की पालना नुनिविलत किया जाना आवश्यक होगा।
16. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुरिताका में अकिरा दिव्या—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिव्या जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिव्या—निर्देशों के अनुसार शीक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्थीकार महान जायेगा। आवेदक के गास विवाहपन में उल्लिखित अनुसार शीक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण—पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपार माना जायेगा।
17. प्रस्तुत—पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कूपी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नतार के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाह की स्थिति में आवेदक विशेषज्ञों के पैनल द्वारा उत्तर की गई अनिन्दित उत्तर कूपी के आधार पर जारी विवाह सभी अन्यथाविधयों को मात्र होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद—विवाह स्वीकृत्य होगा।
18. परीक्षार्थी द्वारा लेन्डार्सीक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारीय का कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनियानुसारा प्रस्तुत करने पर ही आवश्यक का लाभ प्रदान किया जायेगा। परिवर्तन/तलाकशुदा/विविध विवाह आवेदक के विवाह सभी अन्यथाविधयों के लिए जारी की जायेगी। इस परीक्षा को नियरस्त करते हुए उसकी प्रस्तुत करने पर ही आवश्यक का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस परीक्षा को नियरस्त करते हुए उसकी अन्यथाविधयों की अन्यथा वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
19. यदि किसी अन्यथा/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुवित्त साधनों के प्रयोग/उपर्योग या अनुवित्त/अधिक व्यवहार करने में परीक्षा सामग्री/प्रस्तुत पत्र/परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि/संदेह होने पर लिंगित में शिक्षण दिनांक व उच्च आयु सीमा के अनुरूप वालिन शीक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित इस परीक्षा को नियरस्त करने पर ही आवश्यक का लाभ प्रदान किया जायेगा।
20. राज्य कर्मचारी को देय जान विवाह आयुसीमा में छूट, आवश्यक इत्यादि केवल राजस्वान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अन्यथा ही माने जावेंगे, उन्हें उत्तर लाभ नहीं दिया जायेगा।

#### प्रमाण—पत्रों का संत्यापन :-

आवेदक को वर्ग परीक्षा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/मूलपूर्ण सेनिक/अनुसूचित प्रविष्टियाँ) के विवाह/परिवर्तन/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/विकासीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ देय होना जबकि परीक्षा/मूलपूर्ण परीक्षा/संवैधानिक परीक्षा (भर्ती में अनुवित्त साधनों की दोकान में अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार अद्योग द्वारा नियानुसार कार्यवाही नहीं किया जायेगा।

1. कार्यक्रम (क-2) विवाह के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 एवं विवाह दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग\* के अन्यथाविधयों को आवाहन का प्रयोग द्वारा नहीं किया जाता कि वह आवेदन की अतिम तिथि तक जारी किया गया है। अन्य प्रस्तुत करना होगा। अतः वाचता यी जीच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर दिया जायेगा:-

\* Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विवाह के परिपत्र दिनांक 08.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा प्रस्तुत शापथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विवाह किया जायेगा। यदि किसी अन्यथा के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इस परिपत्र का लाभ देय नहीं होगा।

2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रवानग—पत्र में नियास स्वान एवं क्लीमीलेयर की प्रतिष्ठिता सही—सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित प्रवानग पत्र जो आवेदन की अतिम तिथि तक जारी किया गया है अन्य प्रवानग पत्र पर जारी किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित प्रवानग पत्र जो आवेदन की अतिम तिथि तक जारी किया गया है अन्य प्रवानग पत्र पर जारी किया गया है। अतः वाचता यी जीच हेतु नियास स्वान एवं क्लीमीलेयर की अन्यथाविधयों को आवश्यक का लाभ देय नहीं होगा।

3. राजस्वान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्लीमीलेयर के अन्यथाविधयों को आवश्यक का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अन्यथाविधयों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के रूप में आवेदन करना होगा।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सहम प्राधिकारी द्वारा नियोजित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्यक्रम द्वारा नियोजित दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उत्तर अभिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की अतिम लिखित से पूर्ण तरह जारी किया हुआ होना चाहिए।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विधाइत महिला आवेदक जो आशीर्वाद प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए।

6. आर्थिक संघ से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अध्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सहम प्राधिकारी द्वारा नियोजित प्राप्त में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्वान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

Note: नियोजित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

7. शैक्षणिक/प्रौद्योगिक योग्यता/अनुसार आवेदन की अतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/सहायताकार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा योग सभी प्रमाण पत्र जैसे— श्रमी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सहम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार नियोजित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु जी गमना हेतु सेकंडरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट विद्यालयी (आयोग जी वेबसाइट पर उपलब्ध विद्या-निवासानुसार प्रमाण-पत्र), दिव्यांगता\* (सम्पूर्ण जाता वर्ष के किसी भी राज्य के सहम विकितना अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक वर्ष दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जिसने नियमानुसार जी श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजापत्रित कर्मचारी, नियोजित कर्मचारी, विद्यार्थीय कर्मचारी इत्यादि का प्रमाण पत्र नियमानुसार याना हुआ/धारित होना आवश्यक है। विद्या श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पिता का मूल्य प्रमाण-पत्र एवं पिता के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा—विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, जातन कार्ड, शर्च का जन्म प्रमाण पत्र, नहदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पिता के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विद्या श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परिवक्ता/तलाकशुदा/विविधन विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी दिली (माननीय राजस्वान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के नियमानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परिवक्ता/विविधन विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

\*नोट— नियोजित योग्यता जारी के आदेश दिनांक 28.02.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.LD. / स्वावलम्बन पौर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।

8. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्राप्तान — कार्यक्रम (क-2) विभाग जी अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पैसान अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/मरी है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सहम प्राधिकारी से नियोजित प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पत्र होगा/होगी, किन्तु पदविहार से पूर्व उसे सम्मुखिया नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्त का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक नियोजित प्रमाण पत्र (N.O.C.) के आधार पर आवेदन करता/गर्ती है और वास्तविक सेवानिवृत्त से पूर्व वर्षगति हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदविहार कालावधि को विविल कर रक्की और उसे उसकी सेवानिवृत्त के दो माह की कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुकूलता दिया जायेगा। कार्यक्रम (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापालित प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्त के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन जी अतिम लिखित से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षन जा लाभ लेने के पश्चात् राजस्वान सरकार के अधीन किसी वर्ष पर एक वार सेवा ग्रहण कर रही है तो राजस्वान सरकार के अधीन कुनैनियोजन के प्रयोजन ने लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राप्तिश्वति सम्बन्ध हो जायेगी। राजस्वान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी वर्ष को एक सिविल कर्मचारी नाना जायेगा। परन्तु सौभाग्य भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए किसी निम्नतर पद का अनुभव अनियायी है, भूतपूर्व सैनिक को कैफियत इस कारण से कि यह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, विभाग के अधीन भर्ती भर्ती जी लिए जायेगी, ही भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्वान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्वान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, कि लिए आवेदन की तारीख—वार श्रमी के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/व्यवनवेद देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि किसी भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्वान सरकार के अधीन नैमित्तक/सदिया/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के कायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। ‘कार्यक्रम (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्वान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व के आवेदन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्वान राज्य के मूल नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।’

9. शासन की परिषठ ऊर्जाक प्रमाण पत्र यथा समय समय प्रस्तुत मारना वाच्चनीय होगा। तत्सम्बन्धी विवाह परीक्षन प्रमाण-पत्र यथा समय समय प्रस्तुत मारना वाच्चनीय होगा।

10. ऐसा गोई भी अन्यायी, पिंशक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् वो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक नियर्डित नहीं जाना जायेगा, जब तक कि 1. जून, 2002 को विभागान उसके बच्चों/संतानों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती। परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के वृद्धितार प्रवाह से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक परपत्रात्मकी प्रवाह से एक से अधिक बच्चे/संन्ताने पैदा होती है, वही बच्चों/संतानों की कुल संख्या जी गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक जी संतानों की कुल राज्य की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वान्तर प्रवाह से पैदा हुई हो और नियानत हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अन्यायी जिसने पुनर्नियोजित किया है जो किसी विविल के विवरित नहीं है और वह ऐसे पुनर्नियोजित से एकल प्रवाह द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह भी कि इस नियम के उपर्यंत जिसी विवाह एवं विविधन विवाह/तलाकशुदा/परिवक्ता श्रेणी की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शास्त्रीय प्रवाह-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वाच्चनीय होगा।

11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वाचित शैक्षणिक योग्यता व अनुलग्न प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. विविधन विवाह/तलाकशुदा/परिवक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अतिम दिनांक तक एवं विवाह महिला को आवेदन की अतिम लिखित तक अध्यव विवाह के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्नियोजित नहीं किये जाने संबंधी शास्त्रीय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक को अविनाशी शैक्षणिक संस्था का वरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें वरित्र के सम्बन्ध में कम से कम 'अच्छा' का उल्लेख/अकित होना आवश्यक होगा।

14. आवेदक को बच्चन उपर्यान्त आवश्यक वाचित शैक्षणिक योग्यता व अनुलग्न प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक लाभा का छलचा नहीं होना चाहिये जिसमें वर्षा यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. आवेदक को बच्चन उपर्यान्त सहम प्राधिकारी द्वारा जारी विकिता प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक पूर्णतः उपयुक्त है।

16. आवेदक जो पहले से ही संतानों की सेवा वर्ग/श्रेणी संशोधन में नियुक्त है एवं उनका वर्ष वर्ग/श्रेणी में हो गया है, उन्हें अपने नियोजिता से अनुप्रयोग प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

१७ ज्ञानपर्याय की प्राकृता के साथ में संबंधित सेवा गियर के अनुसार आयोग द्वा गिर्णार अंतिम होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु संक्षत विधि उक्तानुसार स्थाट की जा सुनी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये औनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की छोड़ चलाई/तुटी/लौप/अपूर्ण चूमना रह जाती है एवं उपर्युक्त विधिविकास प्रक्रिया अनुसार अन्यथा द्वारा औनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक वाचिक संस्करण नहीं किया जाता है या विज्ञापन के उन्नतान् दृष्टि पात्रान् नहीं रखता है, इस्तवादि के कारण आवेदक का औनलाइन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विशेष रूप से विवरित किया जाता है जो उक्त विज्ञापन में विद्यमान नहीं रखता जाता है औ अतीवीं जो लोदं उक्तनी अधिकारी भी नहीं होता।

अन्य विन्दु व सूचना - एकलीय परीक्षण शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्राप्ति पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्दु व सूचना के लिए आपग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। इसके बजाए विन्दु व सूचना की जांच करना आवश्यक रूप से कठिन है। इसके बजाए आपग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बजाए आपग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

~~(१९८५)~~ २५.

क्रमांक: E-8A(25)EXAM/LI-0-JPA/BFSC/EP-1/2023-24 / 5 2

**प्रतिलिपि:-** रामेश, जयपुर लिकास प्रायिकरण को उनके पत्र प्राप्ताना प.7(2)जमिप्रा/संस्था/रीडी भर्ती/21/पार्ट-11/वी-11 दिनांक 18.07.2025 के तह में सुनार्थ पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रोत्तिष्ठित है।